

कार्यालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्व निमाड, खण्डवा (म.प्र.)

:: परिपत्र ::

क्रमांक : 11/दो-12-01/01

खण्डवा, दिनांक : 08/11/2023

जिला न्यायालय स्थापना पर न्यायालयों एवं अनुभागों में स्वीकृत पदों के अनुरूप तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण की पदस्थापना की गई है। साथ ही न्यायालयों में कार्य की अधिकता को दृष्टिगत रखते हुये अतिरिक्त तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को भी आसंजित किया गया है किन्तु प्रायः यह देखने में आ रहा है कि न्यायालयों एवं अनुभागों में पदस्थ तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तथा न्यायिक अधिकारीगण के आवास कार्यालय में पदस्थ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अवकाश आवेदन संबंधित अधिकारी द्वारा अग्रेषित करने के बाद उनके अवकाश पर होने की स्थिति में उनके स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाये जाने की माँग की जाती है।

अतः न्यायालयों एवं अनुभागों में पदस्थ तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तथा न्यायिक अधिकारीगण के आवास कार्यालय में पदस्थ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अवकाश पर होने की स्थिति में उपलब्ध कर्मचारियों से ही सामंजस्य स्थापित कर कार्य संपादित कराया जाना सुनिश्चित किया जावे। सुलभता होने पर ही तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अवकाश की दशा में उनके स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकेगी।

उक्त निर्देश का पालन सुनिश्चित किया जावे।

Sd/-

(श्रीमती ममता जैन)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पूर्व निमाड, खण्डवा (म.प्र.)

पृष्ठा. क्रमांक : 2094 / दो-12-01 / 01

खण्डवा, दिनांक : 08 / 11 / 2023

प्रतिलिपि (ई-मेल द्वारा) :-

01. प्रभारी अधिकारी, कार्यालय / नजारत / प्रतिलिपि / कम्प्यूटर / अभिलेखागार / मालखाना / ग्रंथालय अनुभाग, खण्डवा / हरसूद / पुनासा ।
02. विशेष न्यायाधीश, अजा / अजजा (अ.नि.) अधिनियम, खण्डवा ।
03. प्रथम / द्वितीय / तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खण्डवा ।
04. जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, हरसूद जिला खण्डवा ।
05. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, खण्डवा ।
06. तृतीय / षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, खण्डवा ।
07. व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, हरसूद / पुनासा जिला खण्डवा ।
08. प्रथम / द्वितीय / तृतीय / चतुर्थ / पंचम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, खण्डवा ।
09. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, हरसूद जिला खण्डवा ।
10. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, खण्डवा के न्यायालय के प्रथम / द्वितीय / तृतीय / चतुर्थ / पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश, खण्डवा (प्रशिक्षु न्यायाधीश) ।
11. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, हरसूद के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, हरसूद जिला खण्डवा (प्रशिक्षु न्यायाधीश) ।
12. प्रस्तुतकार, न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा ।
की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित ।

Sd/-

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
पूर्व निमाड़, खण्डवा (म.प्र.)